


विलोक्ये

रिपोर्ट

तितलीपत्र

२१

८२



जी.पी.नाथक अभि.
द्वारा भाज विं. ६.९.१८
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक: १८.३.१८ नियम।

विलोक्ये आज को ६.९.१८
विवरण भवित्व, भौतिक स्थिति

6.9.18
G.P.Nagade
ADW.

नगराजुण जीपीएच गुप्तिकालीन अधिकाराणां भवते देश दर्शकान्तरमध्ये उल्लेख

प्राचीनतये राजस्व माडल मध्य प्रदेश गवालियर

अध्यावेदन रुमाकी/-

क्र 2018
विग्रहनी - ५५१२/२०१८/टीमी/१८) श्रृंखला

- १/- रामस्त्रव यादव आयु 65 क्र पुत्रस्व रामवस्त्र यादव
- २/- घेमराम यादव आयु 62 क्र पुत्रस्व रामवस्त्र यादव
- ३/- श्रीमति मायादेवी आयु 53 क्र पर्ति द्वारा राम
- ४/- कम्मोदी रेवार आयु 62 क्र पुत्रस्व अर्जुन रेवार
- ५/- पूर्णचन्द्र बंशकार आयु 40 क्र पुत्र धुरुका बंशकार
- ६/- नीर यादव आयु 35 क्र पुत्र द्वारा यादव
- ७/- बालचन्द्र रजा आयु 49 क्र पुत्रस्व बित्तीर रजा
उपरोक्त सभी उल्लेख निवासीयान् ग्राम जमडारपांडु गुण्डेश्वर
तहसील व जिलाटीकमगढ म०प्र० ===== अधिकारण

बनाम

- १/- महिला जफुंवर ठाकुर आयु 70 क्र पर्ति तेजस्वि
- २/- खुमार्थ तिह आयु 52 क्र पुत्र तेजस्वि ठाकुर
- ३/- चन्दनस्ति आयु 43 क्र पुत्रस्व अर्जुनस्ति ठाकुर
- ४/- गुलाबस्ति ठाकुर आयु 65 क्र पुत्रस्व बलदेवस्ति
- ५/- द्वारा राम आयु 55 क्र पुत्रस्व बाबूलाल
- ६/- श्रीतल प्रसाद यादव आयु 52 क्र पुत्र नाथुराम
- ७/- चन्द्रशाल रेवार आयु 55 क्र पुत्र गोरेलाल
- ८/- भैयालाल अहिरवार छु आयु 58 क्र पुत्रस्व गुन्दे
- ९/- आशालाल यादव आयु 65 क्र पुत्र लेण रंजीत यादव
- १०/- द्वारा का प्रसाद यादव आयु 58 क्र पुत्रस्व रंजीत
- ११/- श्री राम यादव आयु 56 क्र पुत्रस्व साधुराम यादव
- १२/- रामस्त्रव यादव आयु 65 क्र पुत्रस्व द्वारा यादव
- १३/- पूर्णलाल यादव आयु 57 क्र पुत्रस्व द्वारा यादव
- १४/- कपूरचन्द्र यादव आयु 62 क्र पुत्रस्व द्वारा यादव
- १५/- श्रीतराम यादव आयु 59 क्र पुत्रस्व वानदास
- १६/- लालन यादव आयु 72 क्र पुत्रस्व जानकी प्रसाद
- १७/- शिवांग र यादव आयु 56 क्र पुत्रस्व जानकी प्रसाद
- १८/- राजेश यादव आयु ५६ क्र पुत्रस्व रामप्रसाद यादव
- १९/- मुकेश यादव आयु ५६ क्र पुत्रस्व रामप्रसाद यादव
- २०/- महिला इमरतबाई यादव आयु 65 क्र पर्ति नरामप्र०
उपरोक्त सभी निवासीयान् ग्राम जमडार तहसील व जि०

तीकमगढ म०प्र०

.....

112/1

आवेदन पत्र प्रतिकूल नियम संबंधी आवास राजस्वीकृति
 निरीक्षक मण्डल समर्ता जिला टीकमगढ़प७० दिनांक ५/५/२०१८ जो
 कि राजस्व प्रश्नात्मक नुमांक ३/३-१२/२०१७-०१८ मे पार्श्व किया
 गया है जिसमे राजस्व निरीक्षक मण्डल समर्ता तहसील व जिला
 टीकमगढ़ के द्वारा पटवारी हल्का माइमर द्वारा पेश किये गये
 प्रतिवेदन दिनांक १०-५-२०१८ सं तुलनापत्र २२-४-२०१८, तथा
 पंचनामा दिनांक १०-५-२०१८ के आधार दिनांक १५-५-२०१८ के
 प्रदर्शी पी- सं काया पांच को अल्लेज स्वीकार किया गया है।

महोदय,

आवेदकगण अपने अध्यावेदन/आवेदन मे तादर नियम करते है :-

१/- यहकि प्रकल्प के तद्यत्तेष मे इस प्रकार है कि दृष्टि भूमि खाता नम्बर १०८२/१/२
 क्षेत्र ६.०७० हेतु लिखत ग्राम मण्डल की भूमि का तीमांक आवेदक के विचय पत्र
 के आधार पर किये जाने हेतु पटवारी हल्का नम्बर ३६ माइमर खात द्वारा राजस्व
 निरीक्षक मण्डल समर्ता के सम्बन्ध प्रस्ताव, तीमांक नियमेदन, प्रकर्षी पी सं सुचनापत्र
 प्र०पी०२, तथा पंचनामा प्र०पी०-३, नामा देत प्र०पी० ४ लाइट्स प्र०पी०-५ पेश किये
 गये जिस तीमांक को राजस्व निरीक्षमण्डल समर्ता द्वारा आवाका स्वीकृत करने संबंधी
 आदेश पार्श्व किया है जिस आदेश ते उचित होकर नियम आधारो पर आवेदकगण यह
 आवेदन पेश कर रहे है :-

अध्यार

=====

१/- यहकि विद्वान राजस्व निरीक्षक मण्डल द्वारा प्र० सं काया पांच के दस्तावेज
 आवाका स्वीकृत करने मे प० प्र० भ० रा० सं० १९५९ की धारा १२९ मे प्रदत्त शक्तियो
 सं अधिकारो का उद्देश सहुपयोग नही किया है सं न्यायालय राजस्व मण्डल प्र०पी०
 रावालियर द्वारा प्रकल्प कुमकै नि०-५७६-दो/२०१३ मे पार्श्व आदेश दिनांक ५-१-
 २०१६ का पासन नही किया गया है और आवोद्य आदेश पार्श्व किया है जो आदेश
 लियर से जाने योग्य नही है और निरस्ताहिये जाने योग्य है।

२/- यहकि पटवारी द्वारा प्रकर्षी पी० सं पांच के दस्तावेज मिथ्या आधारो पर
 तेयालकिये गये है जिन दस्तावेजो को आवाका अल्लेज स्वीकृत करने का आदेश जो राजस्व
 निरीक्षक मण्डल समर्ता द्वारा दिया गया है वह उन्यायेका नही है वहकि निरस्त
 किये जाने योग्य है।

३/- यहकि राजस्व निरीक्षक के अत मिथ्या आदेश नि०-३ आन आर्य मे

पुस्तक २०१८

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-गवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांकनिगरानी-5512/2018/टीकमगढ़/भू.रा.

रामस्वरूप विरुद्ध जयकुंवर

स्थान तथा दिनांक	कार्यसाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30-10-2018	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>2. आवेदक रामस्वरूप की ओर से अभिभाषक श्री जी.पी. नायक उपस्थित । आवेदक के द्वारा राजस्व निरीक्षक मण्डल समरा, जिला टीकमगढ़ के सीमांकन आदेश दिनांक 31-07-2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई थी ।</p> <p>3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरुद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये हैं ।</p> <p>4. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 26-12-2018 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये ।</p> <p>5. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।</p>	<p><i>(आर.कृ जैन) ३०.१०.१८</i></p> <p style="text-align: center;">सदस्य</p>